

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों हेतु  
**पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना**  
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित  
एक देश - एक फसल - एक दर

**HDFC  
ERGO**

Take it easy!



**जिला - बदायूँ**

योजना में अधिसूचित विकासखण्ड में अधिसूचित औद्यानिक फसलों को प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों यथा कम वर्षा, बेमौसम / अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आद्रता आदि से नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों, (जिनके द्वारा बीमा कराया गया हैं) को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

**बीमित राशि और प्रीमियम:-** अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित फसलों हेतु निम्नलिखित प्रीमियम दर लागू।

मौसम	अधिसूचित फसल	अधिसूचित जिला	बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (5%)
रबी	शिमला मिर्च	बदायूँ	50000	2500

**फसलवार अधिसूचित विकासखण्ड**

मौसम	अधिसूचित फसल	जनपद	अधिसूचित ब्लॉक
रबी	शिमला मिर्च	बदायूँ	बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, वजीरगंज, सलारपुर जगत, उझानी, कादरचौक, दातागंज, म्याऊ, उसावा, सहसवान, देहगवा, (13 ब्लॉक)

## औद्यानिक फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि:

### रबी फसलें:

शिमला मिर्च (30 नवम्बर 2019)

### योजना के लाभ:

- समस्त कृषक जो अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं।
- अधिसूचित औद्यानिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम दर।

### दावा भुगतान की विधि:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित स्वचालित मौसम केन्द्रों के आकड़ों की अनुमोदित टर्मशीट से गणना कर दावों का आंकलन किया जायेगा एवं दावा राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा। जो कि निम्नलिखित सूत्रफल पर आधारित होगा।

दावा = दावा प्रति हेक्टेयर X बीमित क्षेत्रफल

योजने के बारे में अधिक जानकारी हेतु बैंक शाखा/कृषि अधिकारी/जन सेवा केन्द्र (CSC) / बीमा कम्पनी या टोल फ्री नम्बर **1800 266 0700** पर सम्पर्क करें।

जिला समन्वयक का नाम व मोबाइल नम्बर:

सुशील तिवारी (8795680777)

### गैर ऋणी कृषक हेतु दस्तावेज़:

- आधार कार्ड की प्रति
- पूर्णतया भरा हुआ प्रस्ताव पत्र
- जमीन बटाई का शपथ पत्र (बटाई होने पर)
- नवीनतम खसरा/खतौनी की नकल
- बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें (IFSC Code) व खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक
- बुवाई प्रमाण पत्र कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा या सत्यापित।

### गैर ऋणी कृषकों हेतु:

गैर ऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि तक निकट के व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, बीमा मध्यस्थ/बीमा एजेंट एवं जन सेवा केन्द्र (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं।